

अधिसूचना
आदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के आदेश संख्या-1191/सत्तर-2-2010-3(58)/79, दिनांक 11 जून, 2010 के प्रस्तर-2 के निम्न अशों को संशोधित करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय अनुमति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
(घ) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत। यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर घयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।	(घ) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत। यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर घयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति नहीं की जायेगी, बल्कि सामान्य श्रेणी में की जायेगी।

58486
23/7/10

विमल किशोर गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-1483(1)/सत्तर-2-2010- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।
- (2) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबा।
- (4) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (5) सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
- (6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड.-2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (8) निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (9) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (10) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (11) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- (12) गार्ड फाइल।

(डॉ० रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

उपरोक्त शासनादेश आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान को शासनादेश से अवगत कराने का कष्ट करें।


कुलसचिव

संयुक्त सचिव/1661
दिनांक-26/7/2010

1. प्रतिलिपि संख्या-1483(1)/सत्तर-2-2010- तददिनांक

2. प्रतिलिपि संख्या-1483(1)/सत्तर-2-2010- तददिनांक

524

24/7/10